

फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/ निर्देश/2021-22

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला, टावर-2,

जीवन भारती बिल्डिंग

कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001.

दिनांक 17 अगस्त, 2022

निर्देश संख्या 02/2022-23 [जीएसटी - अन्वेषण]

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिशानिर्देश।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 838/ 2021, जो कि एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5442/2021 से उत्पन्न हुई थी, में 16 अगस्त, 2021 के अपने फैसले में निम्न टिप्पणी की है:

"We may note that personal liberty is an important aspect of our constitutional mandate. The occasion to arrest an accused during investigation arises when custodial investigation becomes necessary or it is a heinous crime or where there is a possibility of influencing the witnesses or accused may abscond. Merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. A distinction must be made between the existence of the power to arrest and the justification for exercise of it. If arrest is made routine, it can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. If the Investigating Officer has no reason to believe that the accused will abscond or disobey summons and has, in fact, throughout cooperated with the investigation we fail to appreciate why there should be a compulsion on the officer to arrest the accused."

2. बोर्ड ने उपर्युक्त निर्णय की जांच की है और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत गिरफ्तारी के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस की है। पूर्ववर्ती कानूनों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V के तहत भी, गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

3. गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें:

3.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। धारा 69 की उप-धारा (1) आयुक्त को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कथित अपराधी ने धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय है। इसलिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। किसी कथित अपराधी को गिरफ्तार करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए विश्वास करने के कारण साफ़ और पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। विश्वास करने के कारण विश्वसनीय सामग्री पर आधारित होने चाहिए।

3.2 चूंकि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, गिरफ्तारी की शक्ति का सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी नियमित और यांत्रिक तरीके से नहीं की जानी चाहिए। यहां तक कि अगर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में उल्लिखित गिरफ्तारी से पहले की सभी कानूनी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। एक बार अपराध के कानूनी तत्व बन जाने के बाद, आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक या कुछ प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है या नहीं:

3.2.1 क्या व्यक्ति गैर-जमानती अपराध में शामिल था या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या उसके संलिप्त होने का एक उचित संदेह मौजूद है?

3.2.2 क्या अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है?

3.2.3 क्या व्यक्ति द्वारा, यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया तो, आगे की जांच में छेड़छाड़ करने की संभावना है या सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने या प्रभावित करने की संभावना है?

3.2.4 क्या व्यक्ति फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि पारित करने के लिए नकली जीएसटीआईएन या गैर-मौजूद व्यक्तियों आदि के नाम पर प्रॉक्सी / बेनामी लेनदेन को प्रभावित करने वाला मास्टरमाइंड या प्रमुख ऑपरेटर है?

3.2.5 जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जांच अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

3.3 गिरफ्तारी की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब कर अपवंचन का इरादा या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने या उपयोग करने या कर की कपटपूर्ण वापसी या कर के एकत्र

की गई राशि का भुगतान करने में विफलता के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार स्पष्ट है और इसमें मनः स्थिति/अपराधीक मानसिकता के तत्व गोचर है।

3.4 इस प्रकार, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक कारक यह होना चाहिए कि उचित जांच सुनिश्चित करने और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को डराने या प्रभावित करने की संभावना को रोकने की आवश्यकता मौजूद हो।

3.5 हालांकि, तकनीकी प्रकृति के मामलों में गिरफ्तारी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, अर्थात् जहां कर की मांग कानून की व्याख्या के संबंध में मतभेद पर आधारित है। कर निर्धारण की प्रचलित प्रथा भी कथित अपराधी के कर अपवंचन के इरादे के कारकों को निर्धारित करने में से एक हो सकती है। गिरफ्तारी के निर्णय को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, जैसे कथित अपराधी जांच में सहयोग कर रहा है, अर्थात् सम्मन का अनुपालन, मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, कपटपूर्ण जवाब का न देना, कर का स्वैच्छिक भुगतान आदि, हो सकते हैं।

4. गिरफ्तारी की प्रक्रिया

4.1 प्रधान आयुक्त/आयुक्त को फाइल पर दर्ज करना चाहिए कि अपराध की प्रकृति, शामिल व्यक्ति की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उनके पास यह मानने का कारण है कि व्यक्ति ने धारा 132 में उल्लिखित अपराध किया है और वो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर के एक अधिकारी को संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। गिरफ्तारी से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69(3) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों और उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अतः यह सलाह दी जाती है कि प्रधान आयुक्त/आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों से पूरी तरह परिचित हैं।

4.2 गिरफ्तारी जापन डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में {1997(1) एससीसी 416 (पैरा 35 देखें)} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में होना चाहिए। गिरफ्तारी जापन का प्रारूप बोर्ड के परिपत्र संख्या 128/47/2019-जीएसटी दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, गिरफ्तारी जापन में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की प्रासंगिक धारा (ओं) या मामले से या गिरफ्तार व्यक्ति से सम्बंधित अन्य कानूनों का उल्लेख होना चाहिए और अनुपयुक्त प्रावधानों को काट दिया जाना चाहिए।

4.2.1 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाना चाहिए और इस तथ्य को गिरफ्तारी जापन में नोट किया जाना चाहिए;

4.2.2 गिरफ्तार व्यक्ति के नामांकित या अधिकृत व्यक्ति (गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार) को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और इस तथ्य का उल्लेख गिरफ्तारी ज्ञापन में किया जाएगा;

4.2.3 गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी की तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा और गिरफ्तारी ज्ञापन उचित पावती के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

4.3 प्रत्येक व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक अलग गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया और उपलब्ध कराया जाना है। इसे विशेष रूप से उस स्थिति में ध्यान में रखा जाना चाहिए जब एक ही मामले में कई गिरफ्तारियां हों।

4.4 बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी दिनांक 5 नवंबर, 2019 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सीबीआईसी के अधिकारियों द्वारा करदाताओं और अन्य जांच के उद्देश्य हेतु संबंधित व्यक्तियों को जारी किए गए पत्रों पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) का निर्माण और उद्धरण अनिवार्य बनाता है। इस संबंध में किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

4.5 इसके अलावा कुछ निश्चित तौर-तरीके हैं जिनका पालन गिरफ्तारी के समय और गिरफ्तारी के तदुपरांत किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

4.5.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46 के अनुसार एक महिला को केवल एक महिला अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

4.5.2 गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात्, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। यदि गिरफ्तार व्यक्ति एक महिला है, तो ऐसी जांच केवल एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसकी देखरेख में की जाएगी, और यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो एक महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाएगी।

4.5.3 गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखे।

4.5.4 गिरफ्तारी, कम से कम बल प्रयोग एवं प्रचार और हिंसा के बिना की जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को भागने से रोकने उचित संयम का उपयोग किया जाना चाहिए।

5. गिरफ्तारी के बाद की औपचारिकताएं

5.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (4) और (5) में (यथा संशोधित), विभिन्न श्रेणियों के अपराधों के लिए प्रक्रिया को अलग से रेखांकित किया गया है:

5.1.1.1 उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (4) के तहत निर्दिष्ट अपराध के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 की उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, उक्त व्यक्ति को जमानत बांड देने पर जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य हैं। जमानत की शर्तों के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए और गिरफ्तार व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामित व्यक्ति को टेलीफोन पर भी सूचित किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को भी नामित व्यक्ति से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.1.1.2 शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यक्तिगत जमानत बांड के निष्पादन और एक प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्ति द्वारा दी गई समान प्रतिभूति, आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अधिकारी को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ने से संबंधित होंगी। राशि को व्यक्तिगत जमानत बांड में इंगित किया जाएगा और प्रतिभूति, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ, मामले में शामिल कर की राशि भी शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमानत बांड/जमानत की राशि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और गिरफ्तार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए।

5.1.1.3 यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो उसे संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, केवल उन मामलों में जहां जमानत देने की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के और गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उपयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले, चालान के तहत रात के दौरान उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपा जा सकता है।

5.1.2 उन मामलों में, जहां एक व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (5) के तहत निर्दिष्ट अपराध के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 की उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है, वहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। तथापि, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से रोकने वाली परिस्थितियों की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, गिरफ्तार व्यक्ति को उचित चालान के तहत उसकी सुरक्षित हिरासत के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपा जा सकता है और अगले दिन उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और

गिरफ्तार व्यक्ति के नामित व्यक्ति को भी तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, उपयुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

5.2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में प्रासंगिक दस्तावेज अर्थात् जमानत बांड के प्रारूप और पुलिस को सौंपने के लिए चालान का पालन किया जाना चाहिए।

5.3 अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद, अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन शिकायत जल्द से जल्द सक्षम अदालत के समक्ष दायर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, अधिमानतः गिरफ्तारी के साठ दिनों के भीतर, जहां कोई जमानत नहीं दी गई है। गिरफ्तारी के अन्य सभी मामलों में भी, अभियोजन शिकायत एक निश्चित समय सीमा के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।

5.4 प्रत्येक आयुक्तालय/निदेशालय को एक जमानत रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें मामले का विवरण, गिरफ्तार व्यक्ति, बेल राशि, प्रतिभूति राशि आदि का विवरण शामिल हो। जमानत के रूप में प्राप्त धन/लिखतों/दस्तावेजों को एक नामित अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि जमानत के रूप में प्राप्त इन लिखतों/दस्तावेजों को जमानत मुक्त होने तक वैध रखा जाए।

6. भेजी जाने वाली रिपोर्टें

6.1 प्रधान महानिदेशक (डीजीजीआई)/प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, प्रत्येक गिरफ्तारी पर, सदस्य (अनुपालन प्रबंधन) के साथ-साथ, क्षेत्रीय सदस्य को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भेजेंगे जैसा कि **अनुलग्नक-I** में निर्धारित किया गया है। सितंबर, 2022 के बाद से सीजीएसटी में की गई गिरफ्तारी का अखिल भारतीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, जोन में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की एक मासिक रिपोर्ट एतद्वारा, **अनुलग्नक-II** में निर्धारित प्रारूप में, अगले महीने की 5 तारीख तक प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त द्वारा महानिदेशालय जीएसटी आसूचना, मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी। संस्थाओं से प्राप्त मासिक रिपोर्ट डीजीजीआई, मुख्यालय द्वारा संकलित की जाएगी और एक संकलित क्षेत्रवार रिपोर्ट आयुक्त (जीएसटी-जांच), सीबीआईसी को हर महीने की 10 तारीख तक भेजी जाएगी।

6.2 इसके अलावा, ऐसी सभी रिपोर्ट केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएंगी और बोर्ड को कागजी प्रति भेजने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।

7. क्षेत्रीय कार्यालयों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इन दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं को परिचालित करें।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

8. कृपया इस निर्देश की प्राप्ति की पावती दें।

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार



(विजय मोहन जैन)

आयुक्त [जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी

दूरभाष सं. 011-21400623

ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in

सेवा में:

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई] , नई दिल्ली/सभी डीजी (एसएनयू), डीजीजीआई।
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।
3. वेबमास्टर, सीबीआईसी की वेबसाइट (www.cbic.gov.in) पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक -I

(बोर्ड के निर्देश संख्या 02/2022-23 के लिए)

फा.सं.

दिनांक:

से: प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,

सीजीएसटी जोन _____ / प्रधान महानिदेशक, डीजीजीआई

सेवा में,

सदस्य (अनुपालन प्रबंधन)

सीबीआईसी

गिरफ्तारी की सूचना

(बोर्ड के निर्देश संख्या 02/2022-23 दिनांक 16.08.2022 के पैरा 6 के अनुसार)

1. गिरफ्तारी की तिथि :
2. गिरफ्तारी का समय :
3. पता सहित गिरफ्तारी का स्थान :
4. व्यक्ति का नाम :
5. जन्म तिथि :
6. पुत्र/पुत्री/पत्नी :
7. पहचान दस्तावेज प्रकार :
8. पहचान दस्तावेज संख्या :
9. राष्ट्रीयता : भारतीय / अन्य (यदि अन्य हैं, तो विनिर्दिष्ट करें)
10. किया गया अपराध :
11. अपराध का विवरण :
(50 शब्दों से अधिक नहीं)
12. क्या कोई जब्ती हुई है : हां/नहीं
13. यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें :

हस्ताक्षर

प्रधान महानिदेशक का नाम/
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

प्रतिलिपि:

सदस्य (क्षेत्र के प्रभारी)

अनुलग्नक -II

(बोर्ड के निर्देश संख्या 02/2022-23 के लिए)

क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर मासिक रिपोर्ट

क्र.सं.	सीजीएसटी जोन	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम	आयु	गिरफ्तारी की तिथि	व्यक्ति की स्थिति [मालिक, भागीदार, निदेशक, पेशेवर (वकील/चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी सचिव, आदि)]	कर चोरी की राशि (करोड़ रुपये)	शामिल इकाई का नाम	शामिल इकाई का जीएसटीआईएन	गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका का संक्षिप्त विवरण